[2019] 8 एससीआर 702।

बीरेंद्र प्रसाद साह

बनाम

बिहार राज्य और एक और

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 000868)

08 मई, 2019

[न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 482 - धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत किए गए अपराध के संज्ञान को रद्द करना - अपीलकर्ता का मामला यह था कि प्रतिवादी द्वारा उसके पक्ष में जारी किए गए चेक के अनादर के बारे में बैंक से 4.12.2015 को ज्ञापन प्राप्त होने पर, अपीलकर्ता ने 31.12.2015 को एक कानूनी नोटिस जारी किया - अपीलकर्ता के अनुसार, 14.2.2016 और 23.2.2016 के बीच, अपीलकर्ता के अनुसार, उन्होंने डाक विभाग से सवाल किए लेकिन उन्हें सेवा का कोई प्रमाण नहीं दिया गया - तदनुसार 26.2.2016 को, उन्होंने एक दूसरा नोटिस जारी किया - इसका जवाब प्रतिवादी द्वारा 2.3.2016 को दिया गया - इसके बाद, 11.5.2016 को, अपीलकर्ता ने धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की - मजिस्ट्रेट ने शिकायत दर्ज करने में देरी को माफ कर दिया और अपराध का संज्ञान लिया - उच्च न्यायालय ने माना कि शिकायत तीस दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर दर्ज नहीं की गई थी और कार्यवाही रद्द कर दी गई थी। अपीलकर्ता ने शिकायत में विशेष रूप से परिस्थिति का वर्णन किया था कि डाक विभाग से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, उसे नोटिस की कोई पावती प्रस्तुत नहीं की गई थी - ऐसी परिस्थिति में, अपीलकर्ता ने दूसरा नोटिस जारी किया - धारा 138 के परंतुक (बी) में निर्दिष्ट आवश्यकता यह है कि नोटिस अनादरण के ज्ञापन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए - यह 31.12.2015 का पहला नोटिस था जिसने इसका कारण बनाया। धारा 138 के तहत शिकायत के लिए कार्रवाई - शिकायत 11.5.2016 को स्थापित की गई थी - धारा 142 (1) के तहत, धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख के एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए - हालांकि, परंतुक, यह निर्धारित करता है कि निर्धारित अवधि के बाद अदालत द्वारा शिकायत का संज्ञान लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत नहीं करने का पर्याप्त कारण था - शिकायत दर्ज करने में देरी को शिकायत में संतोषजनक ढंग से समझाया गया था - उच्च न्यायालय ने केवल इस धारणा को स्वीकार किया था कि पहला नोटिस दिया गया माना जाता था यदि इसे सामान्य तरीके से भेजा गया था - भले ही वह अनुमान लागू हो, अपीलकर्ता द्वारा शिकायत शुरू करने में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया था - इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और शिकायत को ट्रायल कोर्ट की फाइल में बहाल किया जाता है - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 138, परंतुक, खंड (बी), (सी), धारा 142 (1)।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा:

शिकायत 11 मई 2016 को दर्ज की गई थी। धारा 142 (1) के तहत, धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख के एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। हालांकि परंतुक में कहा गया है कि निर्धारित अवधि के बाद अदालत द्वारा शिकायत का संज्ञान लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत नहीं करने का पर्याप्त कारण था। शिकायत के पैराग्राफ 7 और 8 दोनों में, अपीलकर्ता ने निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत स्थापित करने में सक्षम नहीं होने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त कारण बताए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 6 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाली अवधि के लिए अपीलकर्ता द्वारा दिखाए गए कारण पर देरी को माफ कर दिया। उच्च न्यायालय ने केवल इस धारणा को दरकिनार कर दिया है कि पहला नोटिस दिया गया माना जाएगा यदि इसे सामान्य तरीके से भेजा गया था। यहां तक कि अगर यह धारणा लागू होती है, तो अपीलकर्ता द्वारा शिकायत के आधार पर शिकायत शुरू करने में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया था क्योंकि 31 दिसंबर 2015 को पहला कानूनी नोटिस जारी किया गया था। उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय अस्थिर है। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। तदनुसार शिकायत को ट्रायल कोर्ट की फाइल में बहाल कर दिया गया। [पैरा 11, 12] [707-सी-एफ; 708-ए-बी]

एमएसआर लेदर्स बनाम एस पलानीअप्पन (2013) 1 एससीसी 177: [2012] 9 एससीआर 165 - संदर्भित।

केस लॉ रेफरेंस

[2012] 9 एससीआर 165 पैरा 7 को संदर्भित करता है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 868।

2017 के आपराधिक विविध संख्या 27495 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 10.05.2018 के निर्णय और आदेश से।

नागेंद्र राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री प्रेरणा सिंह, शांतनु सागर, आकाश और सुश्री प्रिया रंजन अपीलकर्ता की ओर से वकील हैं।

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जय सौला, केशव मोहन, ऋषि के. अवस्थी, संतोष कुमार-प्रथम, अरविंद गुप्ता और संजीव कुमार वर्मा ने पक्ष रखा।

कोर्ट का फैसला न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने सुनाया।

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. अपील की अनुमति दी गई।

3. यह अपील 10 मई 2018 को पटना में उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध का संज्ञान लेने वाले आदेश को रद्द कर दिया गया है।

4. संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:

5. विवाद भारतीय स्टेट बैंक पर 36,00,000 रुपये और 13,00,000 रुपये की राशि में निकाले गए दो चेकों को लेकर उत्पन्न होता है, जिन्हें 20 नवंबर 2015 को यूको बैंक, बेगूसराय द्वारा जारी एक ज्ञापन के तहत बिना भुगतान के वापस कर दिया गया था। अपीलकर्ता को 4 दिसंबर 2015 को मेमो प्राप्त हुआ। इसके बाद 31 दिसंबर 2015 को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया जिसमें चेक बाउंस होने की सूचना दी गई. अपीलकर्ता के अनुसार, 14 फरवरी 2016 और 23 फरवरी 2016 के बीच, उसने डाक विभाग से सवाल किए, लेकिन सेवा का कोई सबूत नहीं दिया गया। तदनुसार, 26 फरवरी 2016 को, एक दूसरा कानूनी नोटिस जारी किया गया था। इसका जवाब 2 मार्च 2016 को दूसरे प्रतिवादी द्वारा दिया गया था। आखिरकार, 11 मई 2016 को धारा 138 के तहत एक शिकायत दर्ज की गई।

6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगूसराय ने 14 जुलाई 2016 के एक आदेश द्वारा शिकायत दर्ज करने में देरी को माफ कर दिया। संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दूसरे प्रतिवादी को समन जारी किया। दूसरे प्रतिवादी ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू की, जिसे 8 मार्च 2017 को खारिज कर दिया गया। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के एक और उपाय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि धारा 138 के तहत शिकायत धारा 138 के तहत निर्धारित तीस दिनों की वैधानिक 'अधिनियम' अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही रद्द कर दी गई थी।

7. उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए, वरिष्ठ वकील नागेंद्र राय ने प्रस्तुत किया कि एमएसआर लेदर्स बनाम एस पलानीअप्पन मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया है कि कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धारा 138 के प्रावधानों के तहत लगातार नोटिस जारी करने की अनुमति है। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायत की संस्था में देरी को धारा 142 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा माफ कर दिया गया था। इसलिए, कार्यवाही को रद्द करने में उच्च न्यायालय की ओर से एक त्रुटि थी।

8. दूसरी ओर, दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री जय सावला ने प्रस्तुत किया कि:

(i) दिनांक 26 फरवरी, 2016 का दूसरा कानूनी नोटिस 4 दिसंबर, 2015 को अनादरण ज्ञापन प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के बाद भेजा गया था और इसलिए यह आपराधिक शिकायत की वैध संस्था का आधार नहीं हो सकता;

(ii) यदि ऐसा है भी, तो शिकायत केवल 31 दिसंबर, 2015 के पहले कानूनी नोटिस के आधार पर दायर की जा सकती थी, जो अनादरण ज्ञापन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर था;

(iii) 11 मई, 2016 को दर्ज की गई शिकायत पहली सूचना जारी होने की तारीख से निर्धारित अवधि से अधिक थी;

(iv) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दूसरा नोटिस जारी होने के बाद 6 अप्रैल 2016 के बाद की अवधि के लिए शिकायत की संस्था में हुई देरी को माफ कर दिया था; और

(v) एमएसआर लेदर्स (सुप्रा) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में चेक को पुन प्रस्तुत किया गया जिसके परिणामस्वरूप एक नए नोटिस को कानून के दायरे में माना गया।

9. धारा 138 में इस प्रकार प्रावधान है:

138. खाते में निधियों की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर। - जहां किसी व्यक्ति द्वारा बैंकर के पास रखे गए खाते पर उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए लिया गया कोई चेक, किसी भी ऋण या अन्य देयता के निर्वहन के लिए, उस खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए, बैंक द्वारा अवैतनिक रूप से वापस कर दिया जाता है, या तो उस खाते के क्रेडिट में खड़ी राशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या यह उससे अधिक है। उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि की व्यवस्था की गई है, ऐसे व्यक्ति को अपराध माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के पूर्वाग्रह के बिना, कारावास से दंडित किया जाएगा [एक अवधि जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है], या जुर्माना जो चेक की राशि का दोगुना तक हो सकता है, या दोनों के साथ:

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि-

(ए) चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है जिस तारीख को इसे तैयार किया गया था या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो;

(ख) आदाता या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक की वापसी के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के [तीस दिनों के भीतर] चेक के दराज को लिखित में नोटिस देकर उक्त धनराशि के भुगतान की मांग करता है; और

(ग) ऐसे चेक का आहरणकर्ता उक्त नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर आदाता को या, जैसा भी मामला हो, उक्त धनराशि का भुगतान चेक के नियत समय में करने में विफल रहता है।

10. वर्तमान मामले में, ऊपर वर्णित तथ्यों से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता ने 31 दिसंबर 2015 को कानूनी नोटिस जारी किया था। यह 4 दिसंबर 2015 को अपमान का ज्ञापन प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर था। नतीजतन, धारा 138 के परंतुक (बी) में निर्धारित आवश्यकता को पूरा किया गया था। परंतुक (ग) में यह अपेक्षा की गई है कि चेक का आहरणकर्ता नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर नियत समय पर धारक या आदाता को भुगतान करने में विफल रहा है। दूसरा प्रतिवादी यह स्वीकार नहीं करता है कि 31 दिसंबर 2015 का कानूनी नोटिस उसे दिया गया था। अपीलकर्ता ने अपनी शिकायत में विशेष रूप से उन परिस्थितियों के बारे में बताया है कि डाक विभाग से बार-बार अनुरोध करने पर, नोटिस की कोई पावती प्रस्तुत नहीं की गई थी। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता ने 26 फरवरी 2016 को दूसरा नोटिस जारी किया। जैसा कि हम धारा 138 के परंतुक (बी) में निर्दिष्ट आवश्यकता के बारे में जानते हैं, कि नोटिस अनादरण ज्ञापन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए, हमने इस आधार पर कार्रवाई की है कि यह 31 दिसंबर 2015 का पहला नोटिस है जो धारा 138 के तहत शिकायत के लिए कार्रवाई का कारण बनता है।

11. शिकायत 11 मई 2016 को दर्ज की गई थी। धारा 142 (1) के तहत, धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख के एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। हालांकि परंतुक में कहा गया है कि निर्धारित अवधि के बाद अदालत द्वारा शिकायत का संज्ञान लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत नहीं करने का पर्याप्त कारण था। शिकायत के पैराग्राफ 7 और 8 दोनों में, अपीलकर्ता ने निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत स्थापित करने में सक्षम नहीं होने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त कारण बताए। इन्हें ऊपर दिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 6 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाली अवधि के लिए अपीलकर्ता द्वारा

दिखाए गए कारण पर देरी को माफ कर दिया। हालांकि, यदि शिकायत के पैराग्राफ 7 और 8 को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने शिकायत की संस्था में देरी के लिए माफी मांगने के लिए पर्याप्त कारण का संकेत दिया था। उच्च न्यायालय ने केवल इस धारणा को दरकिनार कर दिया है कि पहला नोटिस दिया गया माना जाएगा यदि इसे सामान्य तरीके से भेजा गया था। यहां तक कि अगर यह धारणा लागू होती है, तो हमारा विचार है कि अपीलकर्ता द्वारा 31 दिसंबर 2015 को पहला कानूनी नोटिस जारी करने के रूप में शिकायत के आधार पर शिकायत शुरू करने में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया था।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के बावजूद,

(क) कोई भी न्यायालय धारा 138 के अधीन ऐसे किसी दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय आदाता द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत के सिवाय या, जैसा भी मामला हो, धारक द्वारा चेक के नियत समय में;

(ख) ऐसी शिकायत धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के अधीन कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख के एक माह के भीतर की जाती है:

[बशर्ते कि किसी शिकायत का संज्ञान न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के बाद लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत नहीं करने का पर्याप्त कारण था];

(ग) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से कमतर कोई न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

12. हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अस्थिर है। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। तदनुसार, शिकायत को ट्रायल कोर्ट की फाइल में बहाल कर दिया जाएगा।

13. हमने प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, जिन पर मुकदमे के दौरान निर्णय लिया जाएगा।

अपील की अनुमति दी गई।

इला देओल, एडवोकेट